संख्या:1896/एक–10–2021–33(221)/2011, टीसी–3

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2021**

विषय– कोविड–19 के दृष्टिगत अवध विहार योजना लखनऊ में स्थित अवध शिल्प ग्राम परिसर में स्थापित अटल बिहारी बाजपेयी कोविड हॉस्पिटल में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु 02 नग क्रय जनसेट के समायोजन हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–2154/एई/122, दिनांक 12.07.2021 के संदर्भ में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी, कोवडि हॉस्पिटल में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दो नग, 500 के0वी0ए0 डीजी सेट की आपूर्ति एवं संस्थापन के कार्य पर हुए व्यय के समायोजन हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु किए गए अनुरोध के क्रम में राज्य कार्य कारिणी समिति द्वारा दिनांक 06.10.2021की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राज्य आपदा मोचक निधि **से रू0 68,79,000/– (रू0 अरसठ लाख उन्यासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 में आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृत प्रदान करते हैः–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) अवध विहार योजना लखनऊ में स्थित अवध शिल्पग्राम परिसर में स्थापित अटल बिहारी बाजपेयी, कोविड हॉस्पिटल में दो नग, 500 के0वी0ए0 डीजी सेट की आपूर्ति एवं संस्थापन पर हुए व्यय के समायोजन हेतु आपके निवर्तन पर स्वीकृत धनराशि इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि उक्त डीजी सेट का प्रयोग केवल हॉस्पिटल हेतु किया जाएगा तथा उसकी प्रविष्टि चिकित्सा विभाग के स्टाक रजिस्टर में करा दी जाएगी।

2— उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रू0 68,79,000/— (रू0 अरसठ लाख उन्यासी हजार मात्र)** वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्य व्यय—06—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—10—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—42—अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

<u>संख्याः— 1896(1)/एक—10—2021—33(221)/2011 टीसी—3, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2— अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
6— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
7— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8— नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।
9— सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
11— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-17/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1896
आवंटन आदेश संख्या:- 154-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6028-आवास आयुक्त , लखनऊ-01-a	वर्तमान प्रगामी	6879000 6879000	6879000 6879000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6879000 6879000	6879000 6879000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़सठ लाख उन्नासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़सठ लाख उन्नासी हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।